पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. –9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 312/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 07.10.20243

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु दिनांक- 07.10.2024 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी है-

***01.थाना- महराजगंज जनपद आजमगढ़:**

पूर्व की घटना/इतिहास–

अवगत कराना है कि दिनांक 26.09.2024 को वादिनी वन्दना पुत्री स्व0 नन्दू सा0 देवारा कदीम 435 पटपरवा थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना महराजगंज पर लिखित तहरीर दिया गया कि विपक्षी चन्द्रशील मौर्या व उसके साथियों के द्वारा वादिनी, उम्र करीब 22 वर्ष को समूह के पैसे के विवाद को लेकर मारा पीटा व जान माल की धमकी दिया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 365/24 धारा 115(2)/351(2) बीएनएस व 3(2)V,3(1)द SC/ST ACT बनाम चन्द्रसील मौर्या पुत्र विजय बहादुर मौर्या सा0 देवारा कदीम 435 पटपरवा थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ तथा 03 दोस्त नाम पता अज्ञात के पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी सगड़ी शुभम तोदी के द्वारा की जा रही है। विवेचना से मुकदमा उपरोक्त मे धारा 70(1) बीएनएस व 3(2)V SC/ST ACT थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ की बढोत्तरी किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण–

दिनांक 06.10.2024 को उ0नि0 अमित कुमार तिवारी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अभि0 चन्द्रशील मौर्या पुत्र विजय बहादुर मौर्या सा0 देवारा कदीम 435 पटपरवा थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ को कटान बाजार से समय करीब 11.45 बजे सुबह नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 365/24 धारा 70(1)/115(2)/351(2) BNS व 3(2)V,3(1)द SC/ST ACT थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 107/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम-उ0नि0 श्री अमित कुमार तिवारी, का0 दिलीप चौधरी, का0 ऋषि कुमार

***02.थाना- पवई जनपद आजमगढ़:**

पूर्व की घटना-

अवगत कराना है कि दिनांक 21.08.2024 को वादी करन पाल पुत्र स्व0 मन्नूपाल निवासी ग्राम प्रतापपुर कला थाना जैतपुर जनपद अम्बेडकर द्वारा थाना पवई पर लिखित तहरीर दिया विपक्षी ससुराल के लोगों द्वारा दहेज के लिए वादी की बहन मनोजा पाल को तरह तरह से प्रताडित किया गया तथा दिनांक 18.09.24 को रात में वादी की बहन मनोजा को उसकी सास सरिता देवी पत्नी स्व0 मन्नूपाल व पति संजय पाल द्वारा गाली गलौज देते हुए बुरी तरह से मारा पीटा गया जिससे वादी की बहन का बेहोश हो गई जिसके सम्बन्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 319/24 धारा 115(2),352,351(2),110,85 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट बनाम 1. संजय पाल पुत्र सत्यदेव पाल 2. सरिता पत्नी सत्यदेव पाल सा0 भुलेसरा सुल्तानपुर थाना पवई जनपद आजमगढ के पंजीकृत किया गया । विवेचना के दौराने पीड़िता मनोजा पाल का ईलाज के दौरान मृत्यु हो जाने के कारण साक्ष्य के आधार पर धारा 80(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी ।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 07.10.2024 को उ0नि0 मनीष मिश्रा मय हमराह द्वारा अभियुक्ता सरिता पत्नी सत्यदेव पाल सा0 भुलेसरा सुल्तानपुर थाना पवई जनपद आजमगढ उम्र करीब 53 वर्ष को ग्राम भुलेसरा से समय 08.35 AM बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। अभियुक्ता का चालान मा0 न्यायालय किया जा रहा है ।

03.थाना- कन्धरापुर जनपद आजमगढ़: धर्मांतरण कराने वाले 01 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

अवगत कराना है कि दिनांक 06.10.2024 को वादी जितू सोनकर पुत्र स्व0 जय राम सोनकर सा0 सराय मन्दराज थाना कोतवाली जनपद आजमगढ के द्वारा थाना कन्धरापुर पर लिखित तहरीर दिया गया कि विपक्षी राजेश कुमार पुत्र पतिराम व इन्दू बाला पत्नी राजेश कुमार ग्राम पाण्डेयचवर (पहलवानपुर) थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ व कुछ अन्य लोग के द्वारा पाण्डेयचवर (पहलवानपुर) में सैकडो महिलाओ एवं बच्चो को इकठ्ठा कर अंधविश्वास व भूत प्रेत के नाम पर ईसाई बनने के लिये प्रेरित किया गया। हिन्दू देवी देवताओं को अपमानित करते हुए ईशा मसीह का गुण गांन करने तथा मना करने पर जान से मारने की धमकी दिया गया जिसक सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 284/2024 धारा 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म सपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2021 व 351(2) BNS बनाम 1.राजेश कुमार पुत्र पतिराम 2. इन्दू बाला पत्नी राजेश कुमार निवासीगण पाण्डेयचवर (पहलवानपुर) थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ व कुछ अन्य लोग नाम पता अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत कराया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 06.10.2024 को प्रभारी निरीक्षक रूद्रभान पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त राजेश कुमार पुत्र पतिराम निवासी पाण्डेयचवर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 50 वर्ष तथा अभियुक्ता इन्दूबाला पत्नी राजेश कुमारनिवासी पाण्डेयचवर थाना कन्धरापुर आजमगढ़ उम्र करीब 47 को कस्बा कन्धरापुर यूनियन बैंक पास से समय करीब 22.15 बजे नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

बरामदगी- 03 धार्मिक पुस्तकें।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- प्र0नि0 रुद्रभान पाण्डेय, उ0नि0 जावेद अख्तर, का0 दीपक सिंह, का0 विनय कुमार यादव, हे0का0 शिवचन्द पटेल, का0 अमित कुमार जायसवाल, का0 आशीष यादव, म0आ0 दीपा बिन्दुआ।

04.थाना- सिधारी जनपद आजमगढ़: चोरी की 03 मोटरसाइकिल व 1300 रूपया नगदी के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

घटना/गिरफ्तारी का विवरण-

अवगत कराना है कि दिनांक 06.10.2024 को उ0नि0 राजीव कुमार सिंह मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान गिरधरपुर पुलिया से समय करीब 03.50 बजे अभियुक्त 01. विवेक यादव पुत्र अरविन्द यादव निवासी गहजी थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र 22 वर्ष व 02. अभियुक्त राकेश सिंह पुत्र विरेन्द्र सिंह निवासी करमपुर थाना घोषी जनपद मऊ उम्र 25 वर्ष को चोरी की 02 मोटर साइकिल व चोरी की मोटरसाइकिल को बेचने से प्राप्त रुपयों मे से शेष 1300-/ रुपये के साथ गिरफ्तार किया गया।

➡ तथा अभियुकतो की निशानदेही पर चोरी एक मोटरसाइकिल इटौरा से बरामद किया गया।

➡ गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना अभियुक्तों के विरूद्ध मु0अ0सं0- 385/24 धारा 317(2)/317(4) बीएनएस का अभियोग बनाम 1. विवेक यादव पुत्र अरविन्द यादव निवासी गहजी थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र 22 वर्ष, 2. राकेश सिंह पुत्र विरेन्द्र सिंह निवासी करकमपुर थाना घोषी जनपद मऊ उम्र 25 वर्ष, 3. सर्वेश त्रिपाठी उर्फ रावण पुत्र सुरेन्द्र त्रिपाठी निवासी हिकमा थाना कोपागंज जनपद मऊ के पंजीकृत किया गया।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि तीनों मोटरसाइकिल चोरी की हैं। अपने खर्च के लिए मोटरसाइकिल चोरी करके बेच देते हैं। अभियुक्तों के एक निशानदेही पर एक मोटर साइकिल बरामद हुआ जिसके सम्बन्ध में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम दोनों लोग सर्वेश त्रिपाठी उर्फ रावण के साथ मिलकर यह मोटर साइकिल झूंसी प्रयागराज से चोरी किये थे। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0- 385/24 धारा 317(2)/317(4) बीएनएस थाना सिधारी आजमगढ़

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0- 227/24 धारा 379/411/413 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़
2. मु0अ0सं0- 249/24 धारा 379/411/413 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़
3. मु0अ0सं0- 448/24 धारा 379 भादवि थाना नैनी प्रयागराज
4. मु0अ0सं0- 385/24 धारा 317(2)/317(4) बीएनएस थाना सिधारी आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. विवेक यादव पुत्र अरविन्द यादव निवासी गहजी थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र 22 वर्ष
2. राकेश सिंह पुत्र विरेन्द्र सिंह निवासी करकमपुर थाना घोषी जनपद मऊ उम्र 25 वर्ष

***बरामदगी**–* 03 चोरी की मोटरसाइकिल व 1300/- रूपया नगद

***गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम**-*

1. उ0नि0 राजीव कुमार सिंह थाना सिधारी जनपद आजमगढ़
2. उ0नि0 मो0 जावेद सिद्दीकी थाना सिधारी जनपद आजमगढ़
3. हे0कां0 सर्वेश यादव थाना सिधारी जनपद आजमगढ़
4. कां0 सद्दाम हुसैन अंसारी थाना सिधारी जनपद आजमगढ़
5. कां0 आदित्य कुमार थाना सिधारी जनपद आजमगढ़
6. कां0 सतीश गौड़ थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ |

05.थाना- जहानागंज जनपद आजमगढ़:किशोरी को बहला-फुसलाकर भगाने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

अवगत कराना है कि दिनांक 18.09.24 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना जहानागंज पर लिखित तहरीर दिया कि विपक्षी आजाद कुमार पुत्र बालकिशुन निवासी परासी थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा दिनांक 15.09.2024 को समय करीब 5 बजे वादिनी की लड़की को बहला फुसलाकर अपने मित्र रोहित पुत्र अज्ञात ग्रा0 सेमरौल थाना जहानागंज आजमगढ़ की सहायता से भगा ले गया है जिसके सम्बन्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 502/24 धारा 137(2),87,61(2), बीएनएस भादवि बनाम 1.आजाद कुमार पुत्र बालकिशुन राम ग्रा0 परासी थाना जहानागंज आजमगढ़, 2.रोहित पुत्र अज्ञात ग्रा0 सेमरौल थाना जहानागंज आजमगढ़ के पंजीकृत किया गया है। विवेचना उ0नि0 राहुल द्वारा संपादीत की जा रही है। विवेचना के क्रम में धारा 69 बीएनएस व 5(ठ)/6 पाक्सो एक्ट की बढ़ोतरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 07.10.24 को उ0नि0 राहुल कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त आजाद पुत्र बालकिशुन निवासी परासी थाना जहानागंज आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष को कस्बा जहानागंज समय करीब 12.15 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

06.थाना- कोतवाली जनपद आजमगढ़- फर्जी पासपोर्ट बनवाने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास-

अवगत कराना है कि पासपोर्ट धारक अमित कुमार सिंह पुत्र राम प्रताप सिंह ग्राम उकरौडा पोस्ट हाफिजपुर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ की जांच प्र0नि0 शशिमौलि पाण्डेय द्वारा किया गया तो ज्ञात हुआ कि पासपोर्ट धारक अमित कुमार सिंह के द्वारा दो पासपोर्ट अपने दो अलग अलग नामों व जन्मतिथि में परिवर्तन करके बनवाया गया है। जिसमें पहले पासपोर्ट पर अमित कुमार सिंह पुत्र राम प्रताप सिंह निवासी उकरौड़ा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ अंकित है। अभियुक्त द्वारा अपना दूसरा पासपोर्ट अपना नाम व जन्मतिथि परिवर्तित कर फर्जी कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर अपना नाम अमित कुमार सिंह पुत्र राम प्रताप सिंह के स्थान पर अमित पुत्र राम प्रताप निवासी उकरौड़ा पोस्ट ऑफिस हाफिजपुर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ के नाम से बनवाया गया। अभियुक्त द्वारा फर्जी कूटरचित दस्तावेज के आधार पर अनुचित लाभ प्राप्त करने हेतु अलग-अलग नाम से अपने दो पासपोर्ट बनवाये गये है। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 559/24 धारा 319 (2)/318(4)/338/336 (3)/340 (2) बीएनएस व पासपोर्ट अधिनियम की धारा 12 (1) ख दि. 6.10.24 को पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण–

दिनांक 07.10.24 को उ0नि0 देवेन्द्रनाथ दूबे मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अमित कुमार सिंह पुत्र स्व0 राम प्रताप सिंह ग्राम उकरौड़ा थाना कोतवाली आजमगढ़ उम्र 39 वर्ष को समय करीब 11.05 बजे हाफिजपुर हैडिल के सामने से नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

07.थाना- महराजगंज जनपद आजमगढ़: धर्म परिवर्तन कराने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना–

अवगत कराना है कि दिनांक 06.10.24 को वादी मुकदमा सदानन्द सिंह निवर्तमान जिला अध्यक्ष आर्यमगढ़ द्वारा थाना महराजगंज पर लिखित तहरीर दिया गया कि में विपक्षी अमरनाथ पुत्र शिवराज राजभर द्वारा ग्राम मझौवा मे झाड फूक के बहाने लोगो का इसाई धर्म में धर्म परिवर्तन कराने का कार्य किया जा रहा है जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 375/24 धारा 299 बीएनएस व 3/5(1) उ0प्र0विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम बनाम अमरनाथ उपरोक्त के पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी की विवरण

दिनांक 06.10.24 को उ0नि0 सुभाषचन्द्र दुबे मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अमर नाथ पुत्र शिवराज राजभर उम्र 37 वर्ष सा0 मझौंवा थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ को उसके घर मझौवा से समय करीब 23.00 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया । गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।